जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 17-06-2021

आज दिनांक 17.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त नाम पता गनेश पुत्र चन्द्रबलि निवासी भटौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 178 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी पुलिस चौकी दुर्गजोत उ0नि0 श्री राजेश यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत भीटिया कला से इवेन्ट संख्या 13439 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के विवाद में 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 08 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा विवाद

के संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 प्रहलाद प्रसाद, मु0आ0 रमायन शर्मा, हो0चा0 प्रदीप कुमार पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनो से 1,77,,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 212 वाहनो से 1,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।